प्रस्ताव आंमत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 परिवहन निगम लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत आलमबाग, कैसरबाग, रायबरेली, अवध, चारबाग एवं उपनगरीय डिपो अमौसी तथा क्षेत्रीय कार्यशाला गोमतीनगर की सुरक्षा हेतु डण्डाधारी सुरक्षागार्ड एवं कैश रूम की सुरक्षा हेतु बन्दूकधारी गार्ड की आपूर्ति करने के लिये निम्नलिखित अर्हता पूर्ण करने वाली संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। संस्थायें उपरोक्त यूनिटों की सुरक्षा के लिये प्रस्ताव दे सकती है। यूनिट/डिपो/बस स्टेशनो पर सुरक्षागार्डो की आपूर्ति राउन्ड–द–क्लाक (शिफ्टवार) निम्न चार्ट अनुरूप प्रस्तावित है:–

क्रमांक	डिपो/बस स्टेशन का नाम	सुरक्षागार्ड (डण्डाधारी)	सुरक्षागार्ड (बन्दूकधारी)
1	चारबाग बस स्टेशन	5X3=15	0
2	कैशरूम चारबाग/आलमबाग डिपो	0	2X3=6
3	कैसरबाग बस स्टेशन	10X3=30	0
4	कैसरबाग डिपो कैश रूम	0	2X3=6
5	कैसरबाग डिपो कार्यशाला	1X3=3	0
6	अवध डिपो कार्यशाला	1X3=3	1X3=3
7	बस स्टेशन एवं कार्यशाला, रायबरेली	2X3=6	1X3=3
8	उपनगरीय एवं चारबाग डिपो कार्यशाला	1X3=3	0
9	क्षेत्रीय कार्यशाला, गोमतीनगर	1X3=3	1X3=3
10	क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, लखनऊ	2X3=6	0
	(अधिकतम सुरक्षागार्ड उपयोग प्रतिमाह)	23X3=69	7X3=21

निर्धारित मानक

1– विडर फर्म/प्रस्तावक का भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से फाईनेंस एक्ट–1994 (32 आफ 1994) अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2– विडर फर्म/प्रस्तावक को (अ) फर्म निबंधक(ब) श्रम विभाग(स) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (द) सर्विस टैक्स (घ) पैन कार्ड से पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3– विडर फर्म/प्रस्तावक को प्रस्ताव के साथ 50,000/– (रू0 पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा जो क्षेत्रीय प्रबंधक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ के नाम से देय होगा।

4– विडर फर्म/प्रस्तावक का वार्षिक टर्न ओवर रू0 50 लाख व उससे अधिक का विगत 03 वर्ष 13–14, 14–15, 15–16) होना चाहिए। टर्न ओवर किसी अधिकृत सी0ए0 द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

5– विडर फर्म/प्रस्तावक को न्यूनतम 5 प्रतिष्ठित संस्थाओं/विभागों में मैन पावर सप्लाई का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिये, प्रमाण–पत्र संलग्न करने होगें। परिवहन निगम में कार्य का अनुभव रखने वाली फर्म को वरीयता प्रदान की जायेगी।

6– विडर कर्ता को भारत का प्रतिष्ठित नागरिक होना आवश्यक है।

7– आई0एस0ओ0 का वैध प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होगा।

8– विडरकर्ता/प्रस्तावक को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि वह भारतवर्ष में किसी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टिड नही है।

9– विडरकर्ता को उपरोक्त मानकों के समर्थन में अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रतियां बंद लिफाफे में रखनी होगी और मूल प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

10– अन्य औपचारिकताएं समान होने पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कार्य का अनुभव रखने वाली फर्मो व क्षेत्रों से प्राप्त गुणवत्ता रिपोर्ट के आधार पर फर्म को वरीयता दी जायेगी।

11– उत्तर प्रदेश राज्य में कार्य करते हेतु एजेन्सी के पास सिक्योरिटी रेगूलेशन एक्ट के अन्तर्गत अद्यतन लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

शर्ते

1–एजेन्सी/ फर्म द्वारा सुरक्षाकार्य हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों की आयु 25 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिये। सुरक्षागार्डो का पढ़ा–लिखा व स्वस्थ होना आवश्यक है।

2– सुरक्षा कार्मिकों का पुलिस सत्यापन, संस्था द्वारा आपूर्ति से पूर्व कराया जाना अनिवार्य होगा।

3– संस्था का पंजीयन एवं संस्था के पास पर्याप्त प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी होना अनिवार्य होगा।

4– संस्था पुलिस विभाग में पंजीकृत होना एवं एजेन्सी के सुरक्षा कर्मियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से किया गया हो।

5– संस्था का चयन होने पर आपूर्ति किये जाने वाले सुरक्षाकर्मियों को संस्था द्वारा जारी परिचय पत्र एवं नाम पटिटकावाली वर्दी (जूते सहित) जिसमें एजेन्सी का लोगो होना अनिवार्य होगा।

6– निगम परिसर से किसी प्रकार की चोरी/सामानों का दुरूपयोग आदि मामलों में एजेंसी को उत्तरदायी मानते हुए कटौती आदि की कार्यवाही की जायेगी।

7– एजेन्सी से सुरक्षा गार्डो को देय वेतन व अन्य सुविधा यथा पी0एफ0, ई0एस0आई0 आदि से विभाग का कोई सम्बन्ध नही होगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व एजेन्सी का होगा।

8– विडर को अनुबंध से पूर्व बस स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था में लगाये जाने वाले सुरक्षागार्डो के नाम, पते पुलिस से सत्यापित कराने के उपरान्त कार्यालय में जमा करने होगें।

9– एजेंसी को श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम निर्धारित दरों पर ही भुगतान किया जायेगा जिनको परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा जारी किया गया हो, सर्विस चार्ज व सेवाकर अतिरिक्त है। एजेन्सी को किसी प्रकार अंतरिम व अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा वैधानिक भुगतान प्रमाण–पत्रों (कार्य एवं उपस्थिति) के आधार पर किये जायेगें। परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा न्यूनतम वर्तमान दरें डण्डाधारी रू0 7108/– व बन्दुकधारी रू0 7818/– + एजेन्सी चार्ज 8 प्रतिशत व सेवाकर समय–समय पर लागू दर निर्धारित है, यह दर समय–समय पर परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा पुनरीक्षित की जा सकती है। फर्म द्वारा सुरक्षागार्ड आपूर्ति हेतु डण्डाधारी एवं बन्दुकधारी गार्डो की दरों को सेवाकर/सर्विस चार्ज व अन्य चार्ज/करों का उल्लेख करते हुए दर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

10– उपलब्ध कराये गये सुरक्षागार्ड एजेन्सी के नियोजन माने जायेगें। परिवहन निगम उनके भुगतान/कानुनी देयकों अथवा नियोजन के लिये उत्तरदायी नही होगा।

11– सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा सुरक्षा गार्ड/गनमैन सुरक्षा कार्मिकों की मासिक दरें सेवाकर सहित स्पष्ट रूप से धनराशि सहित अंकित करनी होगी, दरें स्पष्ट न होने की दशा में प्रस्ताव पर समिति द्वारा कोई विचार नही किया जायेगा। फर्म का सर्विस टैक्स विभाग में पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा तथा सेवाकर विभाग में नियमानुसार सेवाकर जमा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा। फर्म को संस्था के पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

12– प्रत्येक माह प्रत्येक यूनिटों में सुरक्षा में लगे सुरक्षा कार्मिकों की उपस्थिति व बिल स0क्षे0प्र0/सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित/प्रमाणित कराते हुए 05 तारीख तक बिल कार्यालय को प्राप्त कराना होगा जिसका भुगतान एक पक्ष में कर दिया जायेगा।

13– किसी प्रकार का विवाद आपसी समझौते से सुलझाया जायेगा और अन्यथा की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, महोदय परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ का निर्णय सर्वमान्य होगा। आर्बीटेशन एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत न्यायिक विवाद की दशा में एकमात्र क्षेत्राधिकार न्यायालय लखनऊ को होगा।

14– सुरक्षाकर्मी सामान्य रूप से स्वस्थ, हष्ट–पुष्ट एवं शारीरिक गठन उपयुक्त हो तथा लम्बाई कम से कम 5 फुट 6 इंच हो तथा डयूटी के समय सुरक्षा गार्ड के पास सी0टी0, तीन सेलों की टार्च एवं डण्डा (डण्डाधारी गार्ड के पास) / बन्दूक (वैध लाईसेंस सहित) (बन्दूकधारी गार्ड के पास) के पास होना अनिवार्य होगा।

15– प्रस्ताव के साथ '' क्षेत्रीय प्रबंधक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र'' के नाम से देय रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार मात्र) धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

16–लखनऊ क्षेत्र के सुरक्षा एजेन्सियों एवं परिवहन निगम में कार्य का अनुभव रखने वाली फर्मो को वरीयता दी जायेगी।

17– सुरक्षा गार्डो को मासिक भुगतान करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा। परिवहन निगम द्वारा सीधे सुरक्षा गार्डो को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

वांछित अर्हताएं एवं शर्तो को पूर्ण करने वाली संस्थाएं दिनांक 25.–05–2017 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय, 06 सप्रु मार्ग, लखनऊ में समय 11:00 बजे से 14:00 बजे के मध्य प्रस्ताव एवं वांछित प्रमाण–पत्र बंद लिफाफे में टेण्डर बाक्स में डाल सकते है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नही किया जायेगा। क्षेत्रीय समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव, उसी दिन संस्थाओं के प्रतिनिधियों के समक्ष समय 15:00 बजे खोले जायेंगे। प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय का अधिकार सक्षम क्षेत्रीय समिति का होगा तथा उसके द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम/सर्वमान्य होगा।

(ए0के0 सिंह)
क्षेत्रीय प्रबंधक

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक
उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।

पत्रसं0 1779ल0क्षे0/क्षे0प्र0/सुरक्षागार्डप्रस्ताव/17 दिनांक 15–05–2017

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– जिलाधिकारी, लखनऊ।

2– अपर प्रबंध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।

3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस अनुरोध से कि दिनांक 25.–05–2017 को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, 06, सप्रु मार्ग, लखनऊ में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।

5– मुख्य प्रधान प्रबंधक,(प्रशासन/संचालन) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।

6– प्रधान प्रबंधक,(बस स्टेशन/एम0आई0एस0) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि परिवहन निगम के बेवसाईट पर प्रस्ताव/टेण्डर को अपलोड कराने का कष्ट करें।

7–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक(वाराणसी/कानपुर/आगरा/नोएडा/सहारनपुर/झॉसी/बरेली/गाजियाबाद/मेरठ/ आजमगढ़/फैजाबाद/देवीपाटन/चित्रकूटधाम/मुरादाबाद/अलीगढ़/इटावा/हरदोई/गोरखपुर/इलाहाबाद)उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को इस अनुरोध के साथ कि व्यापक प्रसार एवं प्रचार हेतु इस विज्ञप्ति की एक प्रति कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

8– सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक,(वित्त/कार्मिक) उ0प्र0 परिवहन निगम लखनऊ क्षेत्र।

9– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उ0प्र0 परिवहन निगम लखनऊ क्षेत्र को इस निर्देश के साथ कि वे अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर व्यापक प्रचार–प्रसार करायें।

10– नोटिस बोर्ड/गार्ड पत्रावली।

(ए0के0सिंह)
क्षेत्रीय प्रबंधक
लखनऊ।

Downloaded from www.upsrtc.com